# रिश्वत मामले में होमगार्ड को पकड़ा, फिर बताया निर्दोष

अलवर, 30 अगस्त (वेब वार्ता)। ACB ने गुरुवार को अलवर कलेक्ट्रेट के होमगार्ड को 30 हजार रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। कार्रवाई के दौरान होमगार्ड बार-बार कहता रहा। उसने रिश्वत नहीं ली लेकिन अधिकारियों ने एक नहीं सुनी। मामले के दूसरे ही दिन शुक्रवार को ACB ने मामले झूठा बताकर होमगार्ड को छोड़ दिया। वहीं होमगार्ड के खिलाफ शिकायत करने वाले सहित तीन जनों को गिरफ्तार किया। तीनों ने ACB को झांसा देने के लिए फर्जी तरीके से बनाया ऑडियो पेश किया था।

होमगार्ड के खिलाफ शिकायत करने वाले सहित तीन गिरफ्तार मामले को लेकर ACB के डीएसपी महेंद्र ने कहा- हम इंसान हैं। भगवान नहीं। हमें तथ्य गलत दिए इसलिए उसके अनुसार काम किया। मामला समझ आया तब दोषियों महबूब और कपिल को पकड़ा। कलेक्ट्रेट का होमगार्ड सहजूदीन निर्दोष है। ये था मामला ACB के डीएसपी महेंद्र ने बताया- शिकायतकर्ता महबूब अली के घर में झगड़ा चल रहा था। परिवार में उसके हिस्से की जमीन नहीं मिली। इनकी जमीन को होमगार्ड सहजूदीन ने खरीद लिया था। तब महबूब ने होमगार्ड सहजूदीन को मना किया था

कि उनके घर की जमीन नहीं खरीदे। उसे हिस्सा नहीं मिला है। होमगार्ड ने बात नहीं मानी और जमीन का सौदा कर लिया। इसके बाद महबूब ने होमगार्ड को सबक सिखाने की ठान ली। महबूब ने इस बारे में अपने भाई मकसूद को बताया था। मकसूद ने नगर निवासी कपिल को सारी बात बताई। महबूब, मकसूद व कपिल ने षड्यंत्र रचा। इसके बाद ACB में होमगार्ड की ओर से रिश्वत मांगने की शिकायत की। ACB के सामने षड्यंत्र रचने वाले को बताया होमगार्ड ACB ने शिकायत का सत्यापन कराया। तब महबूब ने कपिल को होमगार्ड बना दिया। डीएसपी ने बताया हमारे कॉन्स्टेबल को दूर बैठा दिया था। इस बीच कपिल को होमगार्ड बनाकर नौकरी लगाने को लेकर रिश्वत मांगने की बात का ऑडियो रिकॉर्ड कर लिया। ऑडियो को ACB को सुना दिया। इसके बाद ट्रेप की कार्रवाई की गई। ट्रैप के समय की बातचीत ACB ने बाद में सुनी। तब पता लगा कि ट्रैप के समय होमगार्ड सहजूदीन ने भर्ती से संबंधित नहीं बल्कि प्लॉट के संबंध में बात की। पहले ACB ने ट्रैप की बात की। बाद में ऑडियो सुना तो मामला दूसरा निकला। इसके बाद ACB ने परिवादी बनकर आए महबूब व कपिल को पकड़ा। अब दोनों को गिरफ्तार किया।

# अलवर में होटल का निर्माणाधीन भवन सील

अलवर, 30 अगस्त (वेब वार्ता)। अलवर के 200 फीट रोड पर नमन होटल के आगे के निर्माणाधीन भवन को UIT ने सील कर दिया है। वहीं सिलीसेढ़ बहाव क्षेत्र में बने नटनी हैरिटेज होटल मामले में कोर्ट में सुनवाई है। यूआईटी तहसीलदार अनिल शर्मा ने बताया- जेईएन की रिपोर्ट के आधार पर नमन होटल के आगे बन रहे निर्माण को रोकने के लिए नोटिस दिया गया था लेकिन निर्माण नहीं रुका। अब नोटिस की अवधि पूरी होने के बाद निर्माण को सील कर दिया है। यह निर्माणाधीन जगह यूआईटी की है। होटल मालिक का इस पर कोई टाइटल नहीं है। होटल संचालक बोले- नियम अनुसार किया निर्माण नमन होटल संचालक संतराम ने बताया- उन्होंने अगल-बगल में बनी बिल्डिंग के अनुसार ही निर्माण किया है। यह गलत है तो सबका गलत है। तोड़ा जाए तो सब पर बराबर कार्यवाही हो। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। उल्टा उनसे रिश्वत मांगी गई। खुद को प्रशासन के अफसरों का दलाल बताने वाले प्रदीप कुशवाह नाम के व्यक्ति ने 20 लाख रुपए की मांग की है। नटनी हैरिटेज होटल मामले में सुनवाई अलवर कोर्ट में नटनी हैरिटेज मामले में सुनवाई है। दोनों पक्षों को कोर्ट सुनेगा। इसके बाद जल्दी फैसला दे सकता है। असल में सिलीसेढ़ से आने वाले पानी के बहाव क्षेत्र में नटनी हैरिटेज होटल का निर्माण जारी है। जिसकी शिकायत के बाद पूरे बहाव क्षेत्र का सर्वे किया गया। सर्वे में भी नटनी हैरिटेज होटल को बहाव क्षेत्र मान कर नोटिस और बाद में उसे तोड़ने की कार्यवाही शुरू की। लेकिन प्रशासन ने दो दिन तक हल्का फुल्का निर्माण तोड़ा और होटल संचालक को कोर्ट से स्टे लाने का पूरा समय दिया। इसके बाद कोर्ट से स्टे आया और अब मामले की सुनवाई जारी है। फैसला आने पर आगे कार्यवाही की जाएगी।

# जयपुर सेंट्रल जेल में जेल प्रहरी पहुंचा रहा था मोबाइल

जयपुर, 30 अगस्त (वेब वार्ता)। जयपुर सेंट्रल जेल में जेलप्रहरी के ही मोबाइल पहुंचने का मामला सामने आया है। ड्यूटी के बाद जेल प्रहरी ने ही पैकेट में बांधकर मोबाइल जेल के अंदर फेंके थे। जेल में फैंफे गए तीन पैकटों में मिले 22 मोबाइल को जब्त किया है। जेल प्रशासन की ओर से लालकोठी थाने में शुक्रवार शाम स्त्रक्र दर्ज करवाई गई है। SHO (लालकोठी) श्रीनिवास जांगिड़ ने बताया- जेल प्रशासन की ओर से शुक्रवार शाम जेल प्रहरी संजय के खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई है। शिकायत में बताया गया है कि आरोपी संजय पिछले काफी समय से जेल में प्रहरी के पद पर तैनात है। गुरुवार रात को ड्यूटी पूरी कर वह घर चला गया था। देर रात करीब 2:30 बजे से 3:30 बजे के बीच वह वापस जेल के पास पहुंचा। जेल की दीवार के पास से करीब एक घंटे के अंतराल में तीन पैकेट फेंके। तीसरे पैकेट को फेंकने के दौरान ड्यूटी पर तैनात दूसरी जेल प्रहरी ने उसे देख दिया। पकड़े जाने के डर से आरोपी जेल प्रहरी संजय वहां से भाग निकला। जेल के अंदर चैक करने पर फैंके गए तीन पैकेट में 22 मोबाइल रखे मिले। जेल प्रशासन की ओर से परिसर में मिले मोबाइल को जब्त किया गया। जेल प्रहरी संजय के खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई है।

# डीयू में नवागंतुक छात्रों का एबीवीपी ने किया स्वागत

नई दिल्ली, 30 अगस्त (वेब वार्ता)। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों में प्रवेश लेने वाले नए छात्रों का कॉलेज गेट पर तिलक लगाकर व मिठाई खिलाकर स्वागत किया एवं उनके सफल अकादमिक भविष्य हेतु शुभकामनाएं दी। उल्लेखनीय है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में पहले वर्ष के छात्र-छात्राओं के लिए आज से नए सत्र का प्रारंभ हो चुका है, जिसको लेकर नवागंतुक छात्रों के बीच हर्षोल्लास का माहौल है तो वहीं छात्र अपने निवास एवं अन्य अकादमिक संबंधित विषयों की समस्याओं को लेकर चिंतित भी हैं। इस क्रम में एबीवीपी ने दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न महाविद्यालयों में नवागंतुक छात्रों की हर एक प्रकार की समस्याओं के समाधान की सुनिश्चितता देते हुए नवागंतुक छात्रों का तिलक लगाकर एवं मिठाई खिलाकर स्वागत किया एवं उनके बेहतर अकादमिक भविष्य हेतु शुभकामनाएं दी। एबीवीपी ने रामजस महाविद्यालय, हिंदू महाविद्यालय, किरोड़ीमल महाविद्यालय, मोतीलाल नेहरू महाविद्यालय, अदिति महाविद्यालय, श्यामलाल महाविद्यालय सहित दिल्ली विश्वविद्यालय के 50 अन्य महाविद्यालयों में नवागंतुक छात्रों को तिलक लगाकर एवं उनकी सहायता कर स्वागत किया। विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन पर वेलकम फेशर्स की एक सुंदर रंगोली भी एबीवीपी ने बनाई। एबीवीपी दिल्ली के प्रदेश मंत्री हर्ष अत्री ने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने वाले हर एक छात्र एवं छात्राओं का हार्दिक स्वागत है। एबीवीपी छात्रों के सर्वांगीण विकास एवं उनकी हर एक समस्याओं के समाधान के लिए कैंपस परिसर में 365 दिन उपस्थित रहेगी।? एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने पहले दिन छात्रों को पीजी हॉस्टल, कॉलेज के संबंध में विभिन्न जानकारियां दीं।

# ज्वेलर की हत्या-लूट का आरोपी पुलिस से भिड़ा

अलवर, 30 अगस्त (वेब वार्ता)। भिवाड़ी के कमलेश ज्वेलर्स के मालिक की हत्या-लूट मामले में पुलिस ने दूसरे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बदमाश को हरियाणा से पकड़ा। इस दौरान बदमाश पुलिस से भिड़ गया। धक्का-मुक्की में बदमाश नीचे गिर गया और उसका एक पैर टूट गया। पुलिस ने बताया कि पकड़ा गया बदमाश अनिल है और वह हरियाणा का रहने वाला है।आरोपी को भिवाड़ी अस्पताल में भर्ती करवाया है। फिलहाल जिला अस्पताल को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और किसी को भी अस्पताल के आसपास नहीं आने और जाने दिया जा रहा है। इससे पहले पुलिस एक आरोपी प्रीत को गिरफ्तार कर चुकी है। 23 अगस्त की रात 7:30 बजे भिवाड़ी के सेंट्रल मार्केट में कमलेश ज्वेलर्स में वारदात हुई थी। 5 बदमाशों ने शोरूम मालिक जयसिंह, उसके भाई मधुसूदन और बेटे वैभव से मारपीट की थी। जयसिंह और मधुसूदन को गोली मार दी थी। इलाज के दौरान जयसिंह की मौत हो गई थी। इस वारदात में एक सिक्योरिटी गार्ड को भी गोली लगी थी। गार्ड दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती है। दिल्ली से गिरफ्तार हुआ था पहला आरोपी मामले में भिवाड़ी पुलिस ने बादली (दिल्ली) के रहने वाले प्रीत उर्फ गोलू को गिरफ्तार किया। घटना के बाद प्रीत दिल्ली में छुपा हुआ था। पुलिस उसे वहीं से पकड़ कर सोमवार (26 अगस्त) शाम करीब 7:30 बजे भिवाड़ी लाई थी। मंगलवार को पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट ने उसे 7 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेजा। बदमाश को पकड़ने में उसके चाचा ने ही सहयोग किया था। चाचा दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर हैं। फोटो सर्कुलेट होने के बाद भिवाड़ी पुलिस को बदमाश की सूचना दी थी। शोरूम मालिक जयसिंह को लाठियों से पीटते समय प्रीत के चेहरे से रूमाल नीचे खिसक गया था। इस वजह से पुलिस को उसकी पहचान करने में सफलता मिली थी। शोरूम मालिक जयसिंह को लाठियों से पीटते समय प्रीत के चेहरे से रूमाल नीचे खिसक गया था। इस वजह से पुलिस को उसकी पहचान करने में सफलता मिली थी। लग्जरी लाइफ के लिए लूट अब तक की पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी लग्जरी लाइफ जीना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने एक बड़ी लूट का प्लान बनाया। उनके टारगेट पर राजस्थान में दिल्ली और हरियाणा बॉर्डर से लगते इलाके थे, क्योंकि यहां से भागकर आसानी से इंटर स्टेट बॉर्डर क्रॉस किया जा सकता है। इसलिए बदमाशों ने भिवाड़ी को चुना।

# साहित्योत्सव जश्न-ए-अदब कल्चरल कारवां विरासत का आयोजन जयपुर में किया जाएगा

*भारत भर के प्रसिद्ध कलाकार साहित्योत्सव जश्न-ए-अदब कल्चरल कारवां विरासत में मुख्य मंच पर होंगे*

प्रभात अभिनन्दन न्यूज

जयपुर, 30 अगस्त (का.सं.)। भारतीय कला, संस्कृति और साहित्य का जश्न मनाने वाले सबसे प्रमुख सांस्कृतिक कार्यक्रमों में से एक, साहित्योत्सव जश्न-ए-अदब कल्चरल कारवां विरासत, का आयोजन पहली बार जयपुर में होने जा रहा है। यह कार्यक्रम 31 अगस्त और 1 सितम्बर, 2024 (शनिवार और रविवार) को जवाहर कला केंद्र में आयोजित किया जाएगा, जो जवाहर लाल नेहरू मार्ग, कॉमर्स कॉलेज के सामने, झालाना डूंगरी, जयपुर में स्थित है। इस सांस्कृतिक समारोह का आयोजन संस्कृति मंत्रालय (भारत सरकार), पर्यटन मंत्रालय (भारत सरकार) और जवाहर कला केंद्र के सहयोग से किया जा रहा है। इस ऐतिहासिक सांस्कृतिक कार्यक्रम में देश के विभिन्न हिस्सों से ताल्लुक रखने वाले प्रतिष्ठित भारतीय कलाकार प्रदर्शन करेंगे।

यह दो दिवसीय कार्यक्रम उत्कृष्ट प्रदर्शन से दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने के लिए तैयार है, जिसमें प्रवेश सभी के लिए

नि:शुल्क रहेगा।

पहला दिन- 31 अगस्त, 2024 (दोपहर 2:00 बजे से) कार्यक्रम की शुरुआत एक उद्घाटन समारोह के साथ होगी, जिसमें विद्या शाह, पद्मभूषण पं. साजन मिश्रा, पद्मश्री हुसैन ब्रदर्स, डॉ. यश गुलाटी और साबरी ब्रदर्स जैसी नामचीन हस्तियाँ शामिल होंगी। उद्घाटन समारोह के बाद, शाम को दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने के वादे के साथ साबरी ब्रदर्स कव्वाली की अपनी मनोरम प्रस्तुति से समाँ बाँधेंगे।

दूसरा दिन- 1 सितम्बर, 2024 (दोपहर 2:00 बजे से) कार्यक्रम का दूसरा दिन विभिन्न प्रस्तुतियों तथा गतिविधियों की एक श्रृंखला पर आधारित होगा। इस दिन के कार्यक्रम की शुरुआत यूसुफ खान करेंगे, जो एक अनूठे तत लोक वाद्य यंत्र- भपंग पर अपनी दिलकश प्रस्तुति से तमाम दर्शकों का मन मोह लेंगे। इसके बाद, भारतीय कला, संस्कृति और साहित्य पर आधारित एक विशिष्ट नाटक का आयोजन किया जाएगा। नाटक के आयोजन के उपरांत, अंजुम शर्मा, मनु ऋषि चड्ढा और फ़ैज़ल मलिक द्वारा एक विशेष पैनल चर्चा की जाएगी, जो क्षेत्र की समृद्ध काव्य परंपरा पर प्रकाश डालेगी। इसके बाद, शाम में जान डालते हुए, कवि सम्मेलन मुशायरा का शानदार आयोजन किया जाएगा, जिसकी कमान प्रोफेसर वसीम बरेलवी, पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा और पद्मश्री अशोक चक्रधर एवं अन्य हस्तियों के हाथों में होगी। कार्यक्रम पर टिप्पणी करते हुए, कवि तथा साहित्योत्सव जश्न-ए-अदब के संस्थापक, कुँवर रंजीत चौहान ने कहा, साहित्योत्सव जश्न-ए-अदब कल्चरल कारवां विरासत एक हैदराबाद से जयपुर राज्य तक सफर कर रहा है, जिससे अधिक से अधिक लोग भारतीय कला, संस्कृति और साहित्य की समृद्ध धारा से जुड़ रहे हैं। कई राज्यों में शानदार सफलता के बाद, हमें इस कार्यक्रम को सांस्कृतिक रूप से समृद्ध शहर जयपुर में लाने की खुशी है। निपुण, प्रसिद्ध और सम्मानित कलाकारों की उपस्थिति मंच की शोभा बढ़ाने का काम करती है। हम आप सभी को आमंत्रित करते हैं कि आकर इन कलाकारों की अद्भुत प्रतिभा को देखें।

## डॉ. सोमनाथन ने कैबिनेट सचिव का पदभार संभाला

नई दिल्ली, 30 अगस्त (वेब वार्ता)। प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी डॉ. टी.वी. सोमनाथन ने शुक्रवार को केंद्र में कैबिनेट सचिव का पदभार संभाला। डॉ. सोमनाथन ने राजीव गौबा की जगह ली है जो सेवानिवृत्ति हो गए हैं।कैबिनेट सचिव के रूप में शामिल होने से पहले, वह वित्त मंत्रालय में वित्त सचिव और व्यय विभाग के सचिव का कार्यभार देख रहे थे।

डॉ. सोमनाथन भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के 1987 बैच के तमिलनाडु कैडर के अधिकारी हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है। उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के कार्यकारी विकास कार्यक्रम को भी पूरा किया है, और वह मान्यताप्राप्त चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट और कंपनी सचिव भी हैं। डॉ. सोमनाथन ने केंद्र में प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव और अतिरिक्त सचिव जैसे महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है।

# असम सरकार के फैसले का अनुसरण करें देश की अन्य सरकारें: विहिप

नई दिल्ली, 30 अगस्त (वेब वार्ता)। विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने असम सरकार की ओर से मुस्लिम समाज के लोगों के लिए शादी और तलाक का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किये जाने के फैसले का स्वागत किया है और कहा ही कि देश के अन्य राज्यों को भी इस तरह के कानून बनाने चाहिए।

राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने शुक्रवार को सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर कहा कि असम में मुस्लिम शादी और तलाक का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किये जाने से राज्य की बेटियों को शारीरिक उत्पीड़न से मुक्ति मिलेगी। उन्होंने कहा, इसके माध्यम से बाल विवाह की प्रथा और महिला अत्याचारों पर रोक लगेगी तथा नारी सशक्तिकरण को बल मिलेगा। वास्तव में बहु विवाह को भी अपराध घोषित कर दिया, तो असम की नारियां तथा सभ्य समाज आजीवन आपके ऋणी रहेंगे। धन्यवाद मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा जी।

उन्होंने कहा कि देश के अन्य राज्य सरकारों को भी नारी कल्याणकारी इस पहल का अनुसरण करके बाल विवाह, बहु विवाह, बहु संतान तथा हलाला जैसी नारी दोहनकारी कुप्रथाओं पर अंकुश लगा कर सभी नारियों को दत्तक, तलाक, भरण पोषण, संपत्ति में हिस्सा तथा पर्दा प्रथा से मुक्ति दिलानी ही चाहिए।

उन्होंने कहा कि इस कानून के माध्यम से बहु विवाह पर रोक लगाने, विवाहित महिलाओं को वैवाहिक घर में रहने, भरण पोषण आदि के अपने अधिकार का दावा करने तथा विधवाओं को पति की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार का अधिकार के साथ अन्य लाभ तथा विशेष अधिकारों के लिए दावा करने में भी सहायता मिलेगी। महिला सशक्तिकरण की दिशा में असम सरकार का निर्णय अभूतपूर्व और अनुकरणीय है। उल्लेखनीय है कि असम विधानसभा ने गुरुवार (29 अगस्त) को असम मुस्लिम शादी और तलाक अनिवार्य विधेयक 2024 को पारित कर दिया। इस विधेयक के कानून बन जाने के बाद मुस्लिम समाज के लोगों के लिए शादियों और तलाक रजिस्टर करने वाले 90 साल पुराने कानून- असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम, 1935 को रद्द हो जाएगा।

# शरद पवार ने जेड-प्लस सुरक्षा के तहत सुझाए गए कुछ उपायों को अपनाने से इनकार किया

नई दिल्ली, 30 अगस्त (वेब वार्ता)। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के प्रमुख शरद पवार जिनकी सुरक्षा के दायरे को हाल ही में बढ़ाकर जे-प्लस किया गया था, को लेकर माना जा रहा है कि उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों द्वारा सुझाए गए कुछ उपायों को मानन से इनकार कर दिया है। केंद्रीय एजेंसियों द्वारा की गई सुरक्षा समीक्षा के बाद पवार को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की जेड-प्लस सुरक्षा दी गई थी। हालांकि, माना जा रहा है।

# उत्तराखंड की यात्रा पर धनखड़

नई दिल्ली, 30 अगस्त (वेब वार्ता)। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शनिवार से दो दिन की उत्तराखंड की यात्रा पर रहेंगे।

उपराष्ट्रपति सचिवालय ने शुक्रवार को यहां बताया कि श्री धनखड़ 31 अगस्त से एक सितंबर तक उत्तराखंड के दो दिवसीय दौरे पर रहेंगे।

यात्रा के दौरान श्री धनखड़ उत्तराखंड के देहरादून में स्थित वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद-भारतीय पेट्रोलियम संस्थान के वैज्ञानिकों, संकाय सदस्यों और छात्रों से बातचीत करेंगे। दूसरे दिन वह देहरादून स्थित राष्ट्रीय भारतीय सैन्य महाविद्यालय जाएंगे। उपराष्ट्रपति ऋषिकेश में एम्स का दौरा भी करेंगे, जहां वह संस्थान के छात्रों और संकाय सदस्यों से मिलेंगे।

# एनजीटी ने शामली और सहारनपुर के डीएम को किया तलब, खोखरी नदी को पुनर्जीवित करने के निर्देश

नई दिल्ली, 30 अगस्त (वेब वार्ता)। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) की प्रधान पीठ ने मंगलवार को एक सख्त निर्देश जारी करते हुए शामली और सहारनपुर जिलों के जिलाधिकारियों को खोखरी नदी की खराब स्थिति पर अगली सुनवाई में उपस्थित होने का आदेश दिया है। अधिकरण ने इन जिलों से होकर बहने वाली इस महत्वपूर्ण यमुना की सहायक नदी में बढ़ते प्रदूषण और नदी के क्षरण के मुद्दों को गंभीरता से लिया है।

खोखरी नदी, जो यमुना की एक वर्षा-आधारित सहायक नदी है, सहारनपुर जिले में उत्पन्न होती है और शामली जिले के ख्वाजपुरा गांव में यमुना में मिलने से पहले सहारनपुर और शामली के कई गांवों से होकर गुजरती है। कभी इस क्षेत्र की जीवन रेखा मानी जाने वाली यह नदी अब गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना कर रही है। नदी का तल कई जगहों पर सूख गया है, जिसमें ठोस कचरे का अंबार लगा हुआ है और कई गांवों में अतिक्रमण फैल चुका है। कई बार पुनर्जीवन के प्रयासों के बावजूद, नदी की स्थिति और भी खराब हो गई है, जिसके कारण मार्च 2024 में एनजीटी के समक्ष एक याचिका दायर की गई थी। इसके बाद, एनजीटी ने पहले ही इन अधिकारियों को नदी के पुनर्जीवन के लिए एक समयबद्ध कार्य योजना तैयार करने और अधिकरण के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। 27 अगस्त को हुई सुनवाई में, जिसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव ने की, एनजीटी ने नदी के पुनर्जीवन योजना को लागू करने में प्रगति की कमी पर असंतोष व्यक्त किया। यह पुनर्जीवन योजना शामली और सहारनपुर के सिंचाई विभाग द्वारा तैयार की गई थी और एनजीटी को प्रस्तुत की गई थी। हालांकि, अधिकरण ने चिंता व्यक्त की कि इस योजना को उच्च अधिकारियों से मंजूरी या इसके क्रियान्वयन के लिए आवश्यक धन आवंटन नहीं किया गया है। इसके अलावा, शामली और सहारनपुर के जिलाधिकारियों ने अभी तक इस मामले में कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। चूंकि यह नदी यमुना की सहायक नदी है, जो अंततः गंगा से मिलती है, एनजीटी ने इस मामले में उत्तरदायी के रूप में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन – नमामि गंगे को भी शामिल किया है। अगली सुनवाई 6 दिसंबर, 2024 को निर्धारित की गई है।

## उपराष्ट्रपति ने कोलकाता चिकित्सक दुष्कर्म-हत्याकांड की निंदा की

नई दिल्ली, 30 अगस्त (वेब वार्ता)। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक प्रशिक्षु महिला चिकित्सक के कथित बलात्कार और हत्या की वारदात को 'दर्दनाक' घटना करार देते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ऐसे अपराधों के लिए अपराधियों को दंडित करने के वास्ते एक निवारक व्यवस्था बनाने का शुक्रवार को आह्वान किया।

'पीटीआई' के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के विशेष लेख का जिक्र करते हुए धनखड़ ने उनकी राय दोहराई कि बस! बहुत हो चुका। ''महिलाओं की सुरक्षा =बस! बहुत हो चुका!'' शीर्षक वाला यह लेख आरजी कर अस्पताल में नौ अगस्त को हुई दर्दनाक घटना पर राष्ट्रपति की पहली प्रतिक्रिया थी।

ICICI Home Finance

**कॉर्पोरेट कार्यालय:** आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड आईसीआईसीआई एचएफसी टॉवर, अंधेरी - कुर्ला रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400059, भारत

**शाखा कार्यालय:** पहली मंजिल, सोनी टॉवर, रोड नंबर 2, मेव बोर्डिंग के पास, अलवर- 301001

(नियम 8(6) का परन्तुक देखें)

**अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु सूचना**

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना, सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित।

इसके द्वारा सामान्य रूप से जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता और गारंटर को नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति सुरक्षित ऋणदाता को गिरवी/चार्ज की गई है, जिसका कब्ज़ा आईसीआईसीआई के अधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है। होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड को यहां दिए गए संक्षिप्त विवरण के अनुसार, ''जैसा है जहां है'', ''जैसा है जो है'' और ''जो कुछ भी है'' पर बेचा जाएगा;

| क्र. सं. | उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर/कानूनी उत्तराधिकारियों का नाम ऋण खाता संख्या | सुरक्षित का विवरण ज्ञात के साथ संपत्ति रुकावटें, यदि कोई हो | असाधारण मात्रा | आरक्षित मूल्य / अग्रिम जमा धन | सिंपत्ति निरीक्षण की तिथि और समय | नीलामी की तारीख समय | नीलामी तिथि से एक दिन पहले | सरफेसी अवस्था |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (ए) | (बी) | (सी) | (डी) | (ई) | (एफ) | (जी) | (एच) | (आई) |
| 1. | दिनेश कुमार (उधारकर्ता) पिंकी (सह-उधारकर्ता) ऋण खाता संख्या LHAWR00001464829 और LHAWR00001464830 और LHAWR00001464831 | मकान नंबर 6/172 ए, लिग ब्लॉक नंबर 6, एनएबी एक्सटेंशन स्कीम, अलवर, तहसील- अलवर, जिला- अलवर, राजस्थान | रु. 35,97,795/- 22 अगस्त 2024 | रु. 29,47,669/- / रु. 2,94,767/- | 23 सितंबर, 2024 11:00 पूर्वाह्न 03:00 अपराह्न | 04 अक्टूबर, 2024 02:00 अपराह्न 03:00 अपराह्न | 03 अक्टूबर 2024 शाम 05:00 बजे से पहले | भौतिक कब्ज़ा |

ऑनलाइन नीलामी हमारी नीलामी एजेंसी **श्रीराम ऑटोमॉल इंडिया लिमिटेड** की वेबसाइट (**यूआरएल लिंक- eauctions.samil.in**) पर आयोजित की जाएगी। मोर्टगेगर्स/नोटिस को **03 अक्टूबर, 2024 को अपराह्न 05:00 बजे से पहले** तक अतिरिक्त ब्याज के साथ कुल बकाया का भुगतान करने का आखिरी मौका दिया गया है। अन्यथा ये सुरक्षित संपत्तियां उपरोक्त कार्यक्रम के अनुसार बेची जाएंगी।

संभावित बोलीदाताओं को बयाना राशि जमा (ईएमडी) आरटीजीएस/डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) (कॉलम ई देखें) लेख के शीर्ष पर उल्लेखित **आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड** शाखा कार्यालय पते पर **03 अक्टूबर, 2024 को शाम 04:00 बजे** से पहले जमा करना होगा। संभावित बोलीदाताओं को पंजीकरण फॉर्म और बोली नियम और शर्तों की हस्ताक्षरित प्रति आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड शाखा कार्यालय के पते पर **03 अक्टूबर, 2024 को शाम 05:00 बजे** से पहले या उससे पहले लेख के शीर्ष पर उल्लेखित पते पर जमा करनी होगी। बयाना राशि जमा डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) किसी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक से ''**आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड-नीलामी**'' के पक्ष में **अलवर** में देय होना चाहिए।

नीलामी या निविदाएं जमा करने के निरीक्षण, नियम और शर्तों के संबंध में किसी भी अतिरिक्त स्पष्टीकरण के लिए, कृपया **आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड से 9920807300** पर संपर्क करें।

प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई और कारण बताए किसी भी या सभी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया https://www.icicihfc.com/ पर जाएं।

दिनांक: 31 अगस्त, 2024
स्थान: अलवर

प्राधिकृत अधिकारी, आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड
CIN Number:- U65922MH1999PLC120106

स्वत्वाधिकारी स्वामी, प्रकाशक व मुद्रक युवराज सिंह के लिए सोनू वेब ऑफसेट, नीदड़ मोड़ के सामने, हरमाड़ा-सीकर रोड, जयपुर से मुद्रित व कार्यालय दुकान नं. 1 वार्ड नं. 1, इण्डियन मेडिकल हॉल के पास, हमींदपुर रोड, बहरोड़, जिला-अलवर (राजस्थान) से प्रकाशित। संपादक युवराज सिंह, पत्रों में लेखकों द्वारा व्यक्त किये गये विचारों से सम्पादक एवं प्रकाशक की सहमति अनिवार्य नहीं है। न्यायालय सम्बन्धी सभी मामले जयपुर में निपटाये जायेगें। प्रकाशक की लिखित अनुमति के बिना पूर्णत: व आंशिक व पूर्ण प्रकाशन पूर्णत: प्रतिबन्धित है। सम्पादक-युवराज सिंह। मो. नम्बर: 9829410051 ई-मेल-yuvrajsinghh@gmail.com